अनुदान संख्या 35 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण

GRANT No. 35 -TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue :**				
प्रभारित -	*Charged –*				
मूल	*Original*	*32639,00,00*	*32639,01,00*	*31514,19,55*	*-1124,81,45*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1124,81,45*
स्वीकृत -	Voted -				
मूल	Original	78269,81,00	83988,83,00	71525,14,73	-12463,68,27
पूरक	Supplementary	5719,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				12463,66,18
पूंजीगतः	**Capital :**				
प्रभारित-	*Charged -*				
मूल	*Original*	*8163,44,00*	*11413,44,00*	*10213,75,18*	*-1199,68,82*
पूरक	*Supplementary*	*3250,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*1199,68,82*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head :-

			कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	*O.*	*3263900.00*			
पू.	*S.*	*1.00*	*3151419.55*	*3151419.55*	..
पु.	*R.*	*-112481.45*			

(I) *₹25000.00 लाख* का *विनियोग "योजनेतर अनुदान- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक के अधीन अनुदान - राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल"* के अंतर्गत एक मामले में तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश को लागू न किए जाने कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹25000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under *"Non-Plan Grants - Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution – Grants-in-aid for National Disaster Response Force"* - due to non-operationalisation of recommendation of Thirteenth Finance Commission.

(II) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(I) के परंतुक के अधीन अनुदान"* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under *"Non-Plan Grants - Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution"* - savings occurred under the following heads:-

(का) *"स्थानीय निकायों को अनुदान"* - *₹33923.00 लाख* की बचत (*₹818200.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(A) *"Grants for Local Bodies"* - saving of *₹33923.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹818200.00 lakhs*); and

(खा) *"अभिशासन के लिए सहायता अनुदान"* - *₹42226.20 लाख* की बचत (*₹179120.00 लाख के स्वीकृत विनियोग* की तुलना में) हुई।

(B) *"Grants-in-aid for Governance"* - saving of *₹42226.20 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹179120.00 lakhs*).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कुछ राज्य सरकारों द्वारा तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-fulfillment of conditions laid down by Thirteenth Finance Commission by some State Governments.

(गा) *"राज्य आपदा अनुक्रिया निधि को सहायता अनुदान"* - *₹34017.25 लाख* की बचत (*₹478280.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा

(C) *"Grants-in-aid for State Disaster Response Fund (SDRF)"* - saving of *₹34017.25 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹478280.00 lakhs*) was due to non-fulfillment of

अनुक्रिया निधि का गठन और प्रशासन के दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों को पूरा न किए जाने के कारण हुईं।

conditions as per guidelines on constitution and administration of the State Disaster Response Fund by some State Governments.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा *विनियोग* को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से *(₹22685.00 लाख)* प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परन्तुक के अधीन अनुदान"* के अंतर्गत नवंबर, 2010 में *₹1.00 लाख* का सांकेतिक पूरक *विनियोग* प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly *(₹22685.00 lakhs*) utilised for augmenting the *appropriation* by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary *appropriation* of *₹1.00 lakh* in November, 2010 under *"Non-Plan Grants - Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution"* - under the following heads:-

(I) *"वनों के रख-रखाव के लिए सहायता अनुदान" - ₹1400.00 लाख*।

(I) *"Grants-in-aid for Maintenance of Forests" – ₹1400.00 lakhs.*

(II) *"विरासत के संरक्षण के लिए सहायता अनुदान" - ₹1845.00 लाख*।

(II) *"Grants-in-aid for Heritage Conservation" – ₹1845.00 lakhs.*

(III) *"राज्य विशिष्ट को सहायता अनुदान" - ₹19440.00 लाख*।

(III) *"Grants-in-aid for States Specific" – ₹19440.00 lakhs.*

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹1246368.27 लाख) अगस्त, 2010, नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹571902.00 लाख की पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थीं।

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹1246368.27 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹571902.00 lakhs obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and constituted 15 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय + Excess +
मुख्य शीर्ष "2245" प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	712000.00			
पू.	S.	34001.00	807926.00	807926.60	+ 0.60
पु.	R.	61925.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	7072481.00			
पू.	S.	437901.00	6202090.82	6202088.13	-2.69
पु.	R.	-1308291.18			

(I) ₹100.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes" – savings occurred under the following heads:-

(का) "एकमुश्त अनुदान" -

(A) "Block Grants" -

(क) "सामान्य केंद्रीय सहायता" - ₹172033.06 लाख की बचत (₹2172800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिए गए अग्रिम एसपीए की वसूली किए जाने और राज्य सरकारों द्वारा पिछले वर्षों का वास्तविक व्यय न होने की वजह से एनसीए की अंतिम किस्त पर कटौती किए जाने के कारण हुई।

(a) "Normal Central Assistance"- saving of ₹172033.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2172800.00 lakhs) was due to recovery of advance SPA given in the financial year 2009-10 and imposition of cuts on last installment of NCA for want of actual expenditure of previous years by the State Governments.

(ख) "अन्नपूर्णा सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम"- ₹60000.00 लाख की बचत (₹571000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण विकास मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(b) "National Social Assistance Programme including Annapurna"- saving of ₹60000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹571000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Rural Development.

(ग) "त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रम" - ₹274246.53 लाख की बचत (₹1150000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जल संसाधन मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(c) "Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources Programme"- saving of ₹274246.53 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1150000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Water Resources.

(घ) "राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना" - ₹5856.00 लाख की बचत (₹19000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(d) "National E-Governance Action Plan (NEGAP)"- saving of ₹5856.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹19000.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from Ministry of Information Technology.

(ङ) "जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान"- ₹633416.39 लाख की बचत (₹1161900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा मैचिंग शेयर जारी न किए जाने, परियोजनाएं वापस लिए जाने और स्कीमों को शुरू किए जाने में विलंब होने के कारण हुई।

(e) "Jawahar Lal Nehru National Urban Renewal Mission"- saving of ₹633416.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1161900.00 lakhs) was due to non-release of matching shares by State Governments, withdrawal of projects and delay in commencement of schemes.

(च) "पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि" - ₹12000.19 लाख की बचत (₹225000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(f) "Backward Regions Grant Fund (BRGF)"- saving of ₹12000.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225000.00 lakhs); and

(छ) "बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा कम करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" - ₹9237.79 लाख की बचत (₹120000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई ।

(g) "Additional Central Assistance for drought mitigation in Bundelkhand Region"- saving of ₹9237.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹120000.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें योजना आयोग से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from the Planning Commission.

(खा) "आरक्षित निधियों को अंतरण - राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण" - ₹500059.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹773201.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधि के अंतर्गत प्राप्ति की वसूली में कमी होने के कारण हुई।

(B) "Transfer to Reserve Funds – Transfer to National Investment Fund" – saving of ₹500059.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹773201.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to shortfall in realisation of receipt under the fund.

4. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

4. The above savings were partly offset by excess under the following major heads :-

(I) मुख्य शीर्ष "2245" - "सामान्य - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्य को सहायता" -

(I) Major Head "2245" – "General – Assistance to State from National Calamity Contingency Fund" –

(का) "गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता" - ₹50000.00 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(A) "Assistance to State from NCCF for Calamities of severe nature" – excess of ₹50000.00 lakhs (against nil provision); and

(खा) “गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए एनडीआरएफ से राज्य को सहायता” - ₹11925.60 लाख का अधिक व्यय (₹356000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय किसी एक राज्य/कुछ राज्यों में गंभीर स्वरूप की प्राकृतिक आपदा के बाद तुरंत राहत देने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष “3601” - “राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान” -

(का) “विशेष केंद्रीय सहायता - सीमा क्षेत्र विकास”- ₹5600.00 लाख का अधिक व्यय (₹63500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बीएडीपी के अंतर्गत पश्चिम बंगाल और असम जैसे कुछ राज्यों में अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) “बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता” - ₹74308.77 लाख का अधिक व्यय (₹238781.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) “अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता”- ₹56434.20 लाख का अधिक व्यय (₹10000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹110000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) “विशेष केंद्रीय सहायता” - ₹141700.00 लाख का अधिक व्यय (₹250000.00 लाख के पूरक प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) “विशेष योजना सहायता” - ₹80651.73 लाख का अधिक व्यय (₹177900.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹627900.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय योजना आयोग से अधिक प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुआ।

(B) “Assistance to State from NDRF for Calamities of severe nature” – excess of ₹11925.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹356000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds for immediate relief in the wake of natural calamities of severe nature in a State/some States.

(II) Major Head “3601” – “Grants for State Plan Schemes – Block Grants” –

(A) “Special Central Assistance-Border Area Development” - excess of ₹5600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹63500.00 lakhs) was due to requirement of additional funds in some states like West Bengal and Assam under BADP.

(B) “Additional Central Assistance for Externally Aided Projects” - excess of ₹74308.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹238781.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards externally aided projects.

(C) “Additional Central Assistance for Other Projects” - excess of ₹56434.20 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹110000.00 lakhs including supplementary grant of ₹10000.00 lakhs);

(D) “Special Central Assistance”- excess of ₹141700.00 lakhs (against the supplementary provision of ₹250000.00 lakhs); and

(E) “Special Plan Assistance”- excess of ₹80651.73 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹627900.00 lakhs including supplementary grant of ₹177900.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to receipt of more proposals from the Planning Commission.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें *(₹119968.82 लाख)* अगस्त, 2010, नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए *₹325000.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 37 प्रतिशत और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 11 प्रतिशत थीं।

5. In the capital section of the grant, the overall savings *(₹119968.82 lakhs)* constituted 37 percent of the supplementary *appropriation* of *₹325000.00 lakhs* obtained in August, 2010, November, 2010 and March, 2011 and 11 percent of the total sanctioned *appropriation*.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "7601"	Major Head "7601"				
राज्य सरकारों को कर्ज और अग्रिम	*Loans and Advances to State Governments*				
मू.	*O.*	*816344.00*			
पू.	*S.*	*325000.00*	*1021375.18*	*1021375.18*	..
पु.	*R.*	*-119968.82*			

(I) *₹100000.00 लाख* का *विनियोग "अर्थोपाय अग्रिम-अन्य अर्थोपाय अग्रिम"* के अंतर्गत एक मामले में राज्य सरकारों से कर्ज के लिए आवेदन प्राप्त न होने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Appropriation* of *₹100000.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under *"Ways and Means Advances – Other Ways and Means Advances"* – due to non-receipt of loan applications from State Governments.

(II) *"राज्य योजना स्कीमों के लिए कर्ज-एकमुश्त कर्ज - बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता"* के अंतर्गत *₹716344.00 लाख* के मूल *विनियोग* को *₹325000.00 लाख* का पूरक *विनियोग* प्राप्त करके बढ़ाकर *₹1041344.00 लाख* कर दिया गया, तथापि, जो आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण *₹19968.82 लाख* की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under *"Loans for State Plan Schemes - Block Loans – Additional Central Assistance for externally aided projects"* – the original *appropriation* of *₹716344.00 lakhs* was augmented to *₹1041344.00 lakhs* by obtaining supplementary *appropriation* of *₹325000.00 lakhs* which, however, remained unutilised to the extent of *₹19968.82 lakhs* – due to receipt of less proposals from Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation.